देखभालकर्ता सलाहकार परिषद

देखभालकर्ता सलाहकार परिषद को अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है. परिषद में सामुदायिक सेवाएँ मंत्री द्वारा नियुक्त किए गए अधिकतम 10 सदस्य होते हैं. सभी सदस्य या तो देखभालकर्ता होते हैं या देखभालकर्ताओं के प्रासंगिक मामलों के बारे में जानकारी रखते हैं. परिषद:

- प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं द्वारा देखभालकर्ता घोषणापत्र के अनुपालन के बारे में WA संसद को रिपोर्ट करती है
- देखभालकर्ताओं से संबंधित मामलों पर मंत्री को सामान्य सलाह प्रदान करती है.

WA देखभालकर्ता कार्यनीति

विभाग ने अप्रैल 2016 में WA देखभालकर्ता कार्यनीति शुरू की थी. Carers Advisory Council और Carers WA के साथ साझेदारी में विकसित की गई यह कार्यनीति देखभालकर्ताओं को बेहतर रूप से मान्यता और सहायता देने के तरीकों के बारे में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई समुदाय का मार्गदर्शन करती है.

आप विभाग की वेबसाइट पर WA देखभालकर्ता कार्यनीति को देख सकते/सकती हैं.

समुदाय विभाग

यह विभाग निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई देखभालकर्ताओं को समर्थन देता है:

- *देखभालकर्ता मान्यता अधिनियम 2004* और WA देखभालकर्ता कार्यनीति का संचालन करता है
- देखभाल सलाहकार परिषद को कार्यकारी समर्थन प्रदान करता है
- WA देखभालकर्ता कार्यनीति को लागू करता है
- देखभालकर्ताओं के उभरते हुए मुद्दों और रुझानों के बारे में मंत्री को सलाह देता है
- देखभालकर्ताओं के लिए प्रासंगिक अंतर-एजेंसी कार्य में योगदान देता है
- देखभालकर्ताओं को समर्थन देने के लिए वर्तमान में चल रही और अल्पकालिक गतिविधियों को वित्त-पोषत करता है (उदाहरण, देखभालकर्ता WA के माध्यम से).

समुदायिक विभाग

फोन: (08) 6217 6888

निःशुल्क कॉल: 1800 176 888
(केवल ग्रामीण क्षेत्रों से कॉल निःशुल्क होगी)

ईमेल: carers@communities.wa.gov.au
वेबसाइट: www.communities.wa.gov.au

अनुवाद और दुभाषिया सेवा
(TIS) – फोन: 13 14 50

DC597_HIN_0821

Government of **Western Australia**
Department of **Communities**

देखभालकर्ता मान्यता अधिनियम 2004

पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई देखभालकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है

देखभालकर्ता कौन होता है?

पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई *देखभालकर्ता मान्यता अधिनियम 2004* के अनुसार देखभालकर्ता वह व्यक्ति होता है, जो विकलांगता, किसी पुरानी बीमारी (जिसमें मानसिक बीमारी भी शामिल है) या दुर्बलता से पीड़ित व्यक्ति को बिना कोई वेतन या पारिश्रमिक लिए देखभाल, सहायता और मदद प्रदान करता है.

देखभालकर्ता मान्यता अधिनियम क्या है?

देखभालकर्ताओं की भूमिका को मान्यता देता है. इसमें देखभालकर्ता घोषणापत्र (Carers Charter) शामिल है, जिसमें यह बताया गया है कि देखभालकर्ताओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें अपनी देखभालकर्ता की भूमिका को प्रभावित करने वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए किस प्रकार से संलग्न किया जाना चाहिए.

देखभालकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है?

यह अधिनियम औपचारिक रूप से देखभालकर्ताओं को देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए मुख्य भागीदार के रूप में मान्यता देता है. देखभालकर्ता घोषणापत्र देखभालकर्ताओं को निर्णय लेने में शामिल होना का अधिकार देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए.

सेवा प्रदाताओं के लिए इसका क्या अर्थ है?

इस अधिनियम के तहत यह आवश्यक है कि निर्धारित पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसियाँ और उनके द्वारा वित्त-पोषित गैर-सरकारी सेवाएँ यथासंभव ऐसे कार्य करें, जो देखभालकर्ता घोषणापत्र के अनुपालन में हों. सरकारी एजेंसियों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे देखभालकर्ताओं और उनकी देखभालकर्ता भूमिकाओं को प्रभावित कर सकने वाली नीतियों या कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए देखभालकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों को शामिल करें.

पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई देखभालकर्ता घोषणापत्र (Carers Charter)

1. देखभालकर्ताओं के साथ आदर और गरिमा से व्यवहार किया जाना चाहिए.
2. देखभालकर्ताओं को उन्हें व उनकी देखभालकर्ता भूमिका को प्रभावित करने वाली सेवाओं और भूमिका के मूल्यांकन, नियोजन, वितरण और समीक्षा में शामिल करके उनकी भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए.
3. जब देखभालकर्ताओं और उनकी देखभालकर्ता भूमिका को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जाएँ, तो देखभालकर्ताओं के विचारों और ज़रूरतों को देखभाल प्राप्त करने वाले लोगों के विचारों, ज़रूरतों और सर्वोत्तम हितों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए.
4. देखभालकर्ताओं को प्रभावित करने वाली सेवाओं और देखभालकर्ताओं की भूमिका के संबंध में उनकी ओर से की गई शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनपर विचार किया जाना चाहिए.

जब चीजें ठीक न हों

अगर आपको लगता है कि प्रासंगिक सेवा प्रदाता देखभालकर्ता घोषणापत्र में दिए गए अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले अपनी चिंताओं को संबद्ध सेवा प्रदाता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए.

अगर मुद्दे का समाधान न हो पाए, तो आप स्वास्थ्य और विकलांगता सेवा शिकायत कार्यालय (HaDSCO) से संपर्क कर सकते/सकती हैं, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य या विकलांगता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए एक निष्पक्ष समाधान सेवा प्रदान करता है.

HaDSCO: फोन: (08) 6551 7600
1800 813 583
(केवल ग्रामीण क्षेत्रों से कॉल निःशुल्क होगी)
ईमेल: mail@hadsco.wa.gov.au
वेबसाइट: www.hadsco.wa.gov.au

मामला अध्ययन

मैरी अपनी वयस्क बेटी एलिस के लिए एक प्राथमिक देखभालकर्ता है, जो एक बौद्धिक विकलांगता से ग्रस्त है.

एलिस को हाल ही में एक वायरस के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है. एलिस ने स्वयं डॉक्टर से मुलाकात की और इस बारे में जानकारी प्राप्त की कि दवाइयाँ कैसे और कब लेनी हैं. एलिस ने दवाइयों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन डॉक्टर ने कई अनुरोधों के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं दिया. मैरी को डिस्चार्ज प्लान में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उसे पता नहीं है एलिस को कौन सी दवाइयों की आवश्यकता है और उसे ये दवाइयाँ कब-कब दी जानी चाहिए.

मैरी ने अस्पताल में शिकायत की लेकिन वहाँ से मिली जानकारी से वह नाखुश थी. तब मैरी ने HaDSCO से संपर्क किया और एलिस की ओर से एक रोगी के रूप में स्वास्थ्य *और विकलांगता सेवा (शिकायत) अधिनियम 1995* के तहत शिकायत दर्ज की और खुद को *देखभालकर्ता मान्यता अधिनियम 2004* के तहत एक देखभालकर्ता के रूप में बताया. HaDSCO ने समस्या को हल करने के लिए मैरी, एलिस और अस्पताल से संपर्क किया.

मैरी और एलिस के मुद्दों का समाधान किया गया और अस्पताल को बेहतर रूप से संचार करने और डिस्चार्ज प्लान में देखभालकर्ताओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.